भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-2192
सोमवार, 8 मार्च, 2021/17 फाल्गुन, 1942 (शक)

कामकाजी महिलाएं

2192. श्री जनार्दन सिंह सीग्रीवालः

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) बिहार सहित देशभर में कामकाजी महिलाओं का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत कितना है;
(ख) क्या शीर्ष पदों पर महिलाओं का प्रतिशत बहुत कम है;
(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और देशभर में शीर्ष पदों पर कामकाजी महिलाओं का वर्तमान प्रतिशत कितना है; और
(घ) नौकरियों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)
(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) से (घ): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 2018-19 के दौरान आयोजित किए गए आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) आधार पर 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का अनुमानित महिला कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) अनुबंध में दिया गया है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में सुधार के लिए अनेकों पहल की हैं। महिलाओं के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए, महिला कामगारों के लिए कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु विभिन्न श्रम कानूनों में अनेक सुरक्षात्मक प्रावधान शामिल किए गए हैं। इनमें सवेतन प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करना, 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा के प्रावधानों का उपबंध, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति देना आदि शामिल हैं। सरकार ने संध्या 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच खुली खुदाई वाले कामकाज तथा भूमिगत कामकाज में सुबह 6 बजे से संध्या 7 बजे के बीच तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्य, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं होगी सहित भूमि के ऊपर खदानों में महिलाओं को रोजगार की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

सामान परिश्रमिक अधिनियम, 1976 को अब मजदूरी संहिता, 2019 में शामिल कर लिया गया है। यह व्यवस्था करता है कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में समान कार्य या समरूप प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के लिए किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय प्रवर्तित किसी भी कानून द्वारा उसके तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो।

इसके अतिरिक्त, महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

कामकाजी महिलाओं के संबंध में लोक सभा के दिनांक 08.03.2021 के अतारांकित प्रश्न संख्या 2192 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध

प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र हेतु सामान्य स्थिति (पीएस+एसएस) के अनुसार कामगार जनसंख्या अनुपात (डब्ल्यूपीआर) (प्रतिशत में) आयु समूहः 15 वर्ष एवं उससे अधिक

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य-क्षेत्र	पीएलएफएस	
		ग्रामीण (2018-19)	
		पुरूष	महिला
1	आंध्र प्रदेश	73.6	45.5
2	अरुणाचल प्रदेश	62.3	15.4
3	असम	73.4	11.7
4	बिहार	66.0	4.0
5	छत्तीसगढ़	74.5	52.6
6	दिल्ली	71.8	14.4
7	गोवा	68.2	23.0
8	गुजरात	77.5	25.0
9	हरियाणा	67.2	12.8
10	हिमाचल प्रदेश	72.1	59.4
11	जम्मू और कश्मीर	75.7	35.3
12	झारखंड	74.5	23.3
13	कर्नाटक	74.2	27.2
14	केरल	67.6	26.4
15	मध्य प्रदेश	78.4	31.6
16	महाराष्ट्र	71.2	37.3
17	मणिपुर	68.4	21.7
18	मेघालय	76.6	55.0
19	मिजोरम	70.3	26.5
20	नागालैंड	59.9	19.3
21	ओडिशा	74.6	24.2
22	पंजाब	66.6	17.3
23	राजस्थान	70.4	35.9
24	सिक्किम	70.9	54.0
25	तमिलनाडु	71.6	41.5
26	तेलंगाना	66.2	45.4
27	त्रिपुरा	72.5	11.3
28	उत्तराखंड	67.6	18.1
29	उत्तर प्रदेश	70.4	14.6
30	पश्चिम बंगाल	79.9	20.6
31	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	74.1	20.6
32	चंडीगढ़	81.5	20.9
33	दादर और नगर हवेली	84.7	65.3
34	दमन और दीव	76.9	8.4
35	लक्षद्वीप	46.3	6.2
36	पुडुचेरी	75.5	37.4
	अखिल भारत	72.2	25.5

स्रोत: आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस), जुलाई, 2017- जून,18, जुलाई, 2018-जून, 2019 सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय।